

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला-फलोदी
बन्नेसिंह पुत्र तारूराम बनाम तहसीलदार घंटियाली
किस्म मुकदमा:-88 आर.टी.एक्ट मु.नं:- 09 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/03/2026	<p>श्रीमान सदस्य सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा-निर्देश एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, फलोदी के आदेश की पालना में पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत हुई।</p> <p>वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद चिन्तन मनन एवं अवलोकन के वादी का वाद माफिक इस्तदुआ के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Saty</i></p> <p>सदस्य सहायक कलक्टर बाप,फलोदी राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 4</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Mahmud</i></p> <p>अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 4</p> </div> </div>	